

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 397
गुरुवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

उच्च बेरोजगारी दर

397. श्री हरीस बीरन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) युवा स्नातकों, महिलाओं, ग्रामीण कामगारों और हाशिए पर मौजूद समुदायों के कामगारों के बीच असामान्य रूप से उच्च बेरोजगारी दरों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ख) श्रम शक्ति में विशेष रूप से महिलाओं की निम्न भागीदारी दर से निपटने की दिशा में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) एवं (ख): 2017-18 से, रोजगार एवं बेरोजगारी का आँकड़ा, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (periodic Labour Force Survey, (PLFS) के माध्यम से एकत्रित किया जाता है तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) के द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि, हरेक वर्ष, जुलाई से जून तक है।

सर्वेक्षण की अवधि, हरेक वर्ष, जुलाई से जून तक है। नवीनतम वार्षिक पी.एफ.एल.एस. में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2020-21 से 2022-23 वर्षों के दौरान, सामान्य स्थिति में, अनुमानित बेरोजगारी दर (यू.आर.), निम्नानुसार हैं:

(%)

वर्ष	15 वर्ष और उससे अधिक उम्र लोगों के लिए बेरोजगारी दर (यू.आर.)			15-29 वर्षों के लिए
	महिलाएं	ग्रामीण	कुल	युवा यू.आर.
2020-21	3.5	3.3	4.2	12.9
2021-22	3.3	3.2	4.1	12.4
2022-23	2.9	2.4	3.2	10.0

स्रोत: पीएलएफएस

2020-21, 2021-22 और 2022-23 के वर्षों के दौरान, देश में 15 वर्षों और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, सामान्य स्थिति में, अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.), निम्नानुसार हैं:

वर्ष	महिला एलएफपीआर	कुल एलएफपीआर
2020-21	32.5	54.9
2021-22	32.8	55.2
2022-23	37.0	57.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

आँकड़ें, यह इंगित करते हैं कि देश में श्रम बल भागीदारी दर, कुछ वर्षों में बढ़ रही है। और आगे, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एल.एफ.पी.आर.), में भी, बढ़ती हुई प्रवृत्ति है।

रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में सुधार के साथ संयोजन, यही सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में, महिलाओं के सहित, रोजगार सृजन हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए जैसे भुगतान किया हुआ मातृत्व अवकाश लचीले काम के घंटे, समान मजदूरी इत्यादि जैसे बराबर अवसा एवं सौहादपूर्ण काम के माहौल के लिए, श्रम कानूनों में कई प्रावधानों को शामिल किया गया है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामले, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इत्यादि ने विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) इत्यादि जिसमें रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन की योजनाएं/कार्यक्रमों के ब्यौरों को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।
